

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 454 रा० 2022

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गुलाबराम पुत्र निकूराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
2. कृष्णलाल पुत्र गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
3. कमला पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
4. कलावती पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
5. शारदा पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
6. विमला पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
7. बनारसी पुत्री प्रेमकुमार पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजेश पुत्र प्रेमकुमार पुत्र गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सुनिता पुत्री सरोज पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सुरेन्द्र पुत्री सरोज पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. सुरेश पुत्री सरोज पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 14/1/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580 हेक् में से 1/64 हिस्सा एवं खाता संख्या 370/347 की कुल 14.7460 हेक् में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/103 की कुल 6.1710 हेक् में से 857/41140 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम वल्द मधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निकुराम वल्द मधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम वल्द मधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है भूमि काश्त करने में असमर्थ है ने एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ,9 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ,9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिरसा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता निकुराम बल्द गधाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता6 ,9 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक् में से 1/64 हिस्सा एवं खाता संख्या 370/347 की कुल 14.7460हैक् में से 1/16 हिस्सा , रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/103 की कुल 6.1710हैक् में से 857/41140हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम बल्द गधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा निकुराम बल्द गधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम बल्द गधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है भूमि काश्त करने में असमर्थ है ने एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ,9 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ,9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सन्तुओं के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैव में से 1/64 हिस्सा एवं खाता संख्या 370/347 की कुल 14.7460हैव में से 1/16 हिस्सा , रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/103 की कुल 6.1710हैव में से 857/41140हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि निकुराम वल्द मधाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा निकुराम वल्द मधाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा निकुराम वल्द मधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पीते/पीतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,9 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य समुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरसा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,9 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सन्तु एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैव में से 1/64 हिस्सा एवं खाता संख्या 370/347 की कुल 14.7460हैव में से 1/16 हिस्सा , रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/103 की कुल 6.1710हैव में से 857/41140हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुफ्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकाारी (राजस्व)
गोहर (हिन्दुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवाणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
वादी

बनाम

1. गुलाबराम पुत्र निकूराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
2. कृष्णलाल पुत्र गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
3. कमला पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
4. कलावती पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
5. शारदा पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
6. विमला पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर
7. बनारसी पुत्री प्रेमकुमार पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजेश पुत्र प्रेमकुमार पुत्र गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. सुनिता पुत्री सरोज पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सुरेन्द्र पुत्री सरोज पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. सुरेश पुत्री सरोज पुत्री गुलाबराम जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 454 सन 2022 निर्णय दिनांक- 14/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साथ सवुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 369/348 की कुल 8.1580हैक् में से 1/64 हिस्सा एवं खाता संख्या 370/347 की कुल 14.7460हैक् में से 1/16 हिस्सा, रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 104/103 की कुल 6.1710हैक् में से 857/41140हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जोहरगढ़ (हनुमानगढ़)
नोहर